

5 उप-संचरण एवं वितरण संरचना का सुदृढीकरण

5.1 पीएसएस निर्माण के लक्ष्य की अप्राप्ति

ग्रामीण क्षेत्रों में उप-संचरण एवं वितरण संरचना⁸¹ (एसटीडी) के विकास का उद्देश्य वर्ष 2019 तक निर्बाध रूप (24x7) से विद्युत आपूर्ति प्रदान करना था। पीएसएस का निर्माण आपूर्ति लाइनों (33/11 केवी) की लंबाई को कम करने के लिए किया जाता है ताकि ब्रेकडाउन की स्थिति में कम से कम उपभोक्ता प्रभावित हो।

राज्य में मार्च 2020 तक 146 नए पीएसएस निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 65 पीएसएस ही बन सका। आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) एवं डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत नमूना जांच जिलों में निर्मित पीएसएस का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है:

तालिका 5.1: पीएसएस के निर्माण का लक्ष्य एवं उसके विरुद्ध उपलब्धि

जिला का नाम	निर्माण किये जाने वाले पीएसएस की संख्या	निर्माण किये जाने वाले पीएसएस की क्षमता (एमवीए)	निर्मित पीएसएस की संख्या	निर्मित पीएसएस की क्षमता (एमवीए)	लोड पीएसएस की संख्या
धनबाद	06	40	6	40	3
देवघर	04	20	4	20	0
पाकुड़	02	20	0	0	0
पलामू	12	105	3	20	0
गिरिडीह	05	50	4	40	0
दुमका	03	25	3	25	3
राँची ⁸²	09	90	9	90	2
कुल	41	350	29	235	8

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा उपलब्ध कराए गये आंकड़ों से संकलित)

तालिका 5.1 दर्शाता है कि नमूना-जांचित जिलों में निर्माण के लिए लक्षित 350 एमवीए के 41 पीएसएस में से केवल 235 एमवीए के 29 पीएसएस का ही निर्माण किया जा सका। जेबीवीएनएल एवं संवेदक (टीकेसी) दोनों ही पीएसएस के निर्माण में विलंब/गैर-निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। जेबीवीएनएल ने टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब, अनुपयुक्त या पथरीली भूमि के कारण स्थान परिवर्तित करना और पीएसएस स्थलों के लिए पहुंच सड़क उपलब्ध कराने

⁸¹ नए पीएसएस का निर्माण, मौजूदा पीएसएस का आउगमेंटेशन, एचटी लाइन्स का निर्माण, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन एवं मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आउगमेंटेशन

⁸² डीडीयुजीजेवाई के तहत 12 पीएसएस में से जागा, ओरमांड़ी और सिल्ली में तीन पीएसएस को भूमि को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हटा दिया गया था।

में 41 पीएसएस में से 31 पीएसएस के मामले में आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तारीख से चार से 19 महीनों की विलंब हुआ। संवेदकों ने गिरिडीह और राँची के 14 पीएसएस के मामले में सर्वेक्षण प्रतिवेदन, पीएसएस और बीओक्यू के लिए आरेख प्रस्तुत करने में पांच से 11 महीने का विलंब किया। संवेदकों ने सामग्री



पूर्ण होने के बावजूद निष्क्रिय पड़ा राँची जिलान्तर्गत बाजपुर का पीएसएस (लेखापरीक्षा दल द्वारा 4 जुलाई 2020 को ली गई तस्वीर)

की खरीद में भी विलंब किया और पीएसएस के निर्माण को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक पर्याप्त मानवबल नहीं जुटाई।

इस प्रकार, झारखण्ड सरकार पीएसएस के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप पीएसएस के निर्माण में विलंब हुआ और राँची जिले में तीन पीएसएस की डी-स्कोपिंग हुई।

केस अध्ययन

राँची जिले के अंतर्गत ₹ 4.27 करोड़ की लागत से बाजपुर गांव में तीन फीडर (दो कृषि और एक घरेलू) के साथ 2x5 एमवीए के एक पीएसएस का निर्माण पूरा होने की निर्धारित तिथि (मई 2019) से तीन महीने की विलंब के बाद पूरा किया गया (अगस्त 2019) जबकि भूमि का आवंटन (जनवरी 2018) में एलओआई (मई 2017) की तारीख से आठ महीने के बाद की गई थी। निर्माण (अगस्त 2019) के बाद भी, पीएसएस जीएसएस से कनेक्टिविटी न होने और पीएसएस के लिए ऑपरेटर की तैनाती न होने के कारण निष्क्रिय (जुलाई 2020) पड़ा हुआ था। इसी तरह राँची जिले के चान्हो में पीएसएस के लिए मार्च 2019 में 10 महीने के विलंब के बाद भूमि आवंटित की गई थी। तीन फीडर (दो कृषि और एक घरेलू) के साथ 10 एमवीए के पीएसएस का निर्माण जुलाई 2019 में दो महीने की विलंब से पूरा किया गया था। इसके अलावा, ऑपरेटरों की तैनाती न होने के कारण चार महीने के विलंब के बाद घरेलू फीडर को चार्ज किया गया (नवंबर 2019) जबकि कृषि फीडर बेकार पड़े थे (जुलाई 2020)।

आगे, 235 एमवीए के 29 पूर्ण पीएसएस में से 70 एमवीए के केवल आठ पीएसएस चार्ज किया जा सका। 165 एमवीए के शेष 21 पीएसएस को उनके निर्माण के तीन से 29 महीने बीत जाने के बाद भी चार्ज नहीं किया गया जिसका मुख्य कारण जीएसएस (तीन मामले) के गैर-निर्माण, 33 या 11 केवी लाइनों (16 मामले) के गैर-निर्माण (जून 2020) और पीएसएस के संचालन के लिए प्रशिक्षित मानवबल (दो मामले) की अनुपस्थिति थी। परिणामस्वरूप, उच्चतम मांग के दौरान विद्यमान

पीएसएस अपनी निर्धारित क्षमता के 80 प्रतिशत पर चल रहे थे, जो किसी ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिहाज से, संचालन का सर्वोत्तम स्तर था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) में कहा कि अब स्थिति बदल गई है और 33 पीएसएस को लोड पर डाल दिया गया है।

5.2 पीएसएस का संवर्धन

पीएसएस का संवर्धन पुराने ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन या अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना द्वारा पीएसएस की मौजूदा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि को संदर्भित करता है। मार्च 2020 तक राज्य में 123 पीएसएस के संवर्धन के लक्ष्य के विरुद्ध, 94 पीएसएस को संवर्धित किया गया था। नमूना-जांचित जिलों में, 204 एमवीए के 34 पीएसएस (परिशिष्ट III) के विरुद्ध 189 एमवीए के 31 पीएसएस को संवर्धित किया गया था। टीकेसी के खराब प्रदर्शन के कारण पाकुड़ और पलामू जिलों को छोड़कर पीएसएस का विस्तार कार्य लगभग पूरा हो गया था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) बताया कि पाकुड़ के टीकेसी को समाप्त करने और पलामू जिले में सामग्री की कमी के कारण कार्य में विलंब हुआ है।

5.3 33 केवी लाइन का निर्माण

नमूना-जांचित जिलों में डीडीयुजीजेवाई के तहत 33 केवी एचटी लाइनों के निर्माण की स्थिति तालिका 5.2 में दी गई है।

तालिका 5.2: नमूना-जांचित जिलों में डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत 33 केवी एचटी लाइनों के निर्माण की स्थिति

जिलों का नाम	लक्ष्य (सर्किट किमी)	सर्किट किमी में उपलब्धियां (प्रतिशत)
धनबाद	62.19	53.57 (86)
देवघर	103.20	67.72 (66)
पाकुड़	25.00	15.70 (63)
पलामू	159.96	14.20 (09)
गिरिडीह	104.66	56.00 (54)
दुमका	41.82	36.67 (88)
राँची	221.78	221.78 (100)
कुल	718.61	465.64 (65)

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी के द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से संकलित)

तालिका 5.2 से यह देखा जा सकता है कि नमूना-जांचित सात जिलों में से छः में कार्य की भौतिक प्रगति नौ से 88 प्रतिशत के बीच थी। यह मुख्य रूप से वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, पावर ट्रांसफार्मर (पीटीआर) के आरेख और तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देने में विलंब, बीओक्यू में विचलन को अंतिम रूप देने में विलंब, आरओडब्ल्यू (राईट ऑफ वे) के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा बाधा एवं टीकेसी द्वारा मानवबल की अपर्याप्तता के कारण, पलामू जिले में आरओडब्ल्यू और पाकुड़ में टीकेसी की समाप्ति के कारण हुआ। 33 केवी लाइनों के गैर-निर्माण के कारण फरवरी 2020 तक इन जिलों में 45 एमवीए के आठ⁸³ पीएसएस को चार्ज नहीं किया गया, जबकि पीएसएस का निर्माण अगस्त 2019 और दिसंबर 2019 के बीच पूरे हो गए थे। इस प्रकार झारखण्ड सरकार समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने और आरओडब्ल्यू मुद्दे को हल करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, 33 केवी लाइनों के निर्माण में विलंब हुआ।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि कार्य शीघ्र पूर्ण होने की आशा है।

5.4 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) का अतिरिक्त प्रावधान

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से पांच वर्षों की भार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डीटीआर स्थापित किए जाने थे। एक डीटीआर पर मौजूदा भार की गणना के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए 250 वाट, एपीएल परिवारों के लिए 500 वाट और सार्वजनिक स्थानों के लिए 1000 वाट के भार पर विचार किया जाना था। इसके लिए नए स्थापित डीटीआर को उसकी क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक भार नहीं दिया जाना चाहिए ताकि अनुमानित भार वृद्धि से निपटने के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिकतम उपयोग 80 प्रतिशत तक सुनिश्चित किया जा सके।

- राँची जिले के मलार और पाल्मा गांवों के क्षेत्र निरीक्षण (जुलाई 2020) के दौरान, यह देखा गया कि 11 उपभोक्ताओं (तीन एपीएल और आठ बीपीएल) के लिए केवल चार केवीए और 58 उपभोक्ताओं (35 एपीएल और 23 बीपीएल) के लिए 27 केवीए क्रमशः 50 केवीए (2x25 केवीए) और 75 केवीए (3x25 केवीए) डीटीआर की स्थापित क्षमता से जुड़े थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुमानित 2,81,550 बीपीएल, 3,11,025 एपीएल और 9,272 सार्वजनिक स्थानों के विद्युत-संबंध के लिए 20,051 डीटीआर लगाए जाने

⁸³ देवघर-4, पलामू-3 और राँची-1

थे। इसे संशोधित कर 1,53,181 बीपीएल, 1,50,187 एपीएल और 3,422 सार्वजनिक स्थानों के विद्युत-संबंध के लिए 29,079 डीटीआर⁸⁴ किया गया। इसके विपरीत, आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत, नमूना-जांचित जिलों (*परिशिष्ट IV*) में 6,33,742 केवीए की कुल भार क्षमता के साथ 25 केवीए वाले 23,941 और 63 केवीए वाले 559 डीटीआर स्थापित किए गए थे।

मार्च 2020 तक इन डीटीआर को आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना), डीडीयुजीजेवाई और सौभाग्या के तहत 1,80,585 बीपीएल, 1,37,691 एपीएल और 4,965 सार्वजनिक स्थानों को विद्युत-संबंध दिया गया था जो कि 1,39,893 केवीए लोड के बराबर था। 50 प्रतिशत की भार आवश्यकता और पांच वर्षों के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2,79,786 केवीए की भार क्षमता वाले डीटीआर की आवश्यकता थी। जैसे, 3,53,956 केवीए की भार क्षमता वाले डीटीआर आवश्यकता से अधिक स्थापित किए गए थे। इस प्रकार, जेबीवीएनएल ने उचित सर्वेक्षण और योजना की कमी के कारण 25 केवीए के 14,158 डीटीआर पर ₹ 1.51 करोड़⁸⁵ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया।

उत्तर में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि डीटीआर साइट की स्थिति, बिखरे हुए भार और भविष्य के भार पर विचार करने के बाद स्थापित किए गए थे ताकि पांच वर्षों के बाद अधिकतम भार 80 प्रतिशत से अधिक न हो।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राँची जिले के मलार और पाल्मा गांवों में 11 उपभोक्ताओं (तीन एपीएल और आठ बीपीएल) के लिए केवल चार केवीए और 58 उपभोक्ताओं (35 एपीएल और 23 बीपीएल) के लिए 27 केवीए का लोड 50 केवीए (2x25 केवीए) और 75 केवीए (3x25 केवीए) का डीटीआर लगभग 80 मीटर और 100 मीटर की दूरी पर स्थापित था और पांच वर्षों के बाद अनुमानित भार केवल 6.44 केवीए और 43.48 केवीए होगा जिसे क्रमशः 25 केवीए का एक और दो डीटीआर द्वारा पूरा किया जा सकता है।

5.5 अतिरिक्त पीसीसी पोल के कारण अतिरिक्त खर्च

लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के अनुसार, एचटी (33/11 केवी) लाइनों के लिए 18 एचटी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल प्रति किलोमीटर (किमी) और एलटी लाइनों के लिए 25 एलटी पीसीसी पोल प्रति किलोमीटर (किमी) खड़े किए जाने थे।

⁸⁴ 25 केवीए डीटीआर-28520 और 63 केवीए डीटीआर-559

⁸⁵ ₹ 81,332 प्रति डीटीआर की औसत लागत।



राँची जिले के मक्का गांव में क्षेत्र क्षमण के दौरान यह देखा गया कि टीकेसी ने मौजूदा पोल का उपयोग नहीं किया और नए खंभों को खड़ा किया।

यह देखा गया कि आवश्यक 1,24,444 एचटी पोल और 4,48,488 एलटी पोल के विरुद्ध, जेबीवीएनएल ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत सात नमूना-जांचित जिलों में 1,62,067 एचटी पोल और 4,91,229 एलटी पोल लगाए। इस प्रकार, 39,731 एचटी और 42,741 एलटी पोल आवश्यकता से अधिक (*परिशिष्ट V*) खड़े किए गए थे, जिसके कारण ₹ 45.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (प्रति पोल ₹ 5,333 की औसत दर पर गणना की गई)।



फरवरी 2020 में राँची (मक्का-7 और मुरुपिरी-11) और गिरिडीह (जादु रैडीह-5 और बरिया-4) जिलों के चार गांवों में 27 पोल के भौतिक सत्यापन से पता चला कि दो एलटी पोल के बीच की दूरी 20 से 37 मीटर के बीच थी जबकि 40 मीटर का मानदंड था।

उत्तर में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, टेढ़े मड़े सड़कों, आरओडब्ल्यू आदि होने के कारण अतिरिक्त पोल लगाए गए थे।

प्रबंधन/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने मैदानी और समतल भूमि में दो एलटी खंभों के बीच की दूरी को मापा और पाया कि यह 40 मीटर से कम थी।

5.6 उप-मुख्य वितरण बोर्ड (एसएमडीबी) की अधिक स्थापना

डीडीयुजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, एलटी पोलों पर स्थापित एसएमडीबी के माध्यम से विद्युत-संबंध जारी किए जाने थे। डीडीयुजीजेवाई के एलओआई के अनुसार, एक एसएमडीबी के माध्यम से आठ विद्युत-संबंध जारी किए जा सकते हैं। स्थापित एसएमडीबी और जारी किए गए विद्युत-संबंधों का विवरण तालिका 5.3 में दिखाया गया है:

तालिका 5.3: स्थापित किए गए एसएमडीबी और जारी किए गए विद्युत-संबंध का विवरण

जिला का नाम	स्थापित एसएमडीबी की संख्या	जारी विद्युत-संबंध की संख्या	जरूरी एसएमडीबी की संख्या	अधिक एसएमडीबी स्थापित
धनबाद	14,652	20,500	2,563	12,089
गिरिडीह	81,447	80,248	10,031	71,416
देवघर	20,886	16,538	2,067	18,819
दुमका	82,512	71,105	8,888	73,624
पलामू	15,375	96,690	12,086	3,289
पाकुड़	6,805	12,424	1,553	5,252
राँची	35,657	21,485	2,686	32,971
कुल	2,57,334	3,18,990	39,874	2,17,460

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी के द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से संकलित)

तालिका 5.3 से स्पष्ट है कि सिर्फ 3,18,990 विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए 2,57,334 एसएमडीबी स्थापित किए गए थे। इसके अलावा, चार जिलों⁸⁶ में, स्थापित एसएमडीबी (2,20,502) की संख्या जारी किए गए विद्युत-संबंध (1,89,376) से अधिक थी, जो दर्शाता है कि एसएमडीबी बिना आवश्यकता के भी स्थापित किए गए थे। गिरिडीह में, केवल 59,272 एलटी पोल (परिशिष्ट V) पर 81,447 एसएमडीबी स्थापित किए गए थे। इस प्रकार, नमूना-जांचित जिलों में आवश्यकता से अधिक एसएमडीबी स्थापित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने ₹ 1,859 प्रति एसएमडीबी की औसत लागत पर एसएमडीबी (अर्थात प्रति एसएमडीबी चार विद्युत-संबंध) के 50 प्रतिशत उपयोग पर विचार करते हुए 1,77,586⁸⁷ अतिरिक्त एसएमडीबी की स्थापना पर ₹ 33.01 करोड़ के परिहार्य व्यय की गणना की।

⁸⁶ देवघर, दुमका, गिरिडीह और राँची

⁸⁷ (257334-39874x2) x ₹ 1859= ₹ 33.01 करोड़

क्षेत्र निरीक्षण के दौरान, एसएमडीबी को खेतों में खड़े खंभों पर भी स्थापित पाया गया, जहां से कोई विद्युत-संबंध जारी नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दी गई तस्वीर में दिखाया गया है।



गिरिडीह में एक पोल पर बिना किसी विद्युत-संबंध के एसएमडीबी की तस्वीर (6 मार्च 2020)

उत्तर में, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि स्थल पर बिखरे हुए लोड, बड़ी संख्या में मौजूदा उपभोक्ताओं और निकट भविष्य में संभावित नए सेवा संबंध के कारण अतिरिक्त एसएमडीबी स्थापित किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएमडीबी को उन क्षेत्रों में भी स्थापित देखा गया जहां भौतिक सत्यापन के दौरान कोई बस्ती मौजूद नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि एकल एसएमडीबी से केवल एक विद्युत-संबंध प्रदान किया जा रहा था।

5.7 पीएसएस और फीडर मीटरीकरण

वितरण कंपनी के स्थायी वाणिज्यिक संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए मीटरीकरण का अत्यधिक महत्व है। उपभोक्ताओं की ओर से मीटरीकरण के अलावा, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) और फीडरों पर मीटरीकरण उचित ऊर्जा लेखांकन के लिए एक तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। यह हानि के क्षेत्रों की पहचान करने और इस तरह के हानि को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने में भी मदद करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएसएस और आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत निर्मित/संवर्धित फीडरों पर ऊर्जा मीटर स्थापित नहीं किए गए थे। यद्यपि डीटीआर पर ऊर्जा मीटर स्थापित किये गये थे, अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारणों से ऊर्जा की हानि, यदि कोई हो, की जांच करने के लिए मंडल/मंडल कार्यालयों द्वारा डीटीआर-वार ऊर्जा लेखांकन नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, डीडीयुजीजेवाई का एक मुख्य उद्देश्य अर्थात् सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि (एटीसी) को कम करना, सात नमूना-जांच जिलों में डीटीआर पर

ऊर्जा मीटरों के संस्थापन पर ₹ 30.88 करोड़ के व्यय के बावजूद विफल रहा (₹ 12,606 प्रति मीटर की औसत दर पर संगणित)।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि भविष्य में ऊर्जा लेखांकन किया जाएगा।

5.8 जेएसबीएवाई-1 और II के तहत सृजित बुनियादी ढांचा

झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना (जेएसबीएवाई) चरण I के तहत कार्य में मुख्य रूप से 44 पीएसएस और 2,086.38 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइनों⁸⁸ का निर्माण/ वृद्धि शामिल है, इसके अलावा छोटे घरों और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत-संबंध प्रदान करना है। जेएसबीएवाई-1 के अंतर्गत काम जुलाई 2018 और मार्च 2019 के बीच शुरू कर जनवरी 2020 और सितंबर 2020 के बीच पूरा किया जाना था। इसी तरह, जेएसबीएवाई-II के तहत 85 पीएसएस और 2,905.26 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइनों⁸⁹ का निर्माण/संवर्द्धन कार्य फरवरी 2019 और जून 2020 के बीच शुरू कर जुलाई 2020 और दिसंबर 2021 के बीच पूरा करना था।

- राँची जिले में, जेएसबीएवाई चरण-II के तहत दो पीएसएस का निर्माण किया जाना था, जिसके लिए जिला प्रशासन ने जेबीवीएनएल को नगड़ी ब्लॉक में नयासराय (मई 2019) और कांके ब्लॉक में सुकुरहुडू (जुलाई 2019) में एलओआई (मार्च 2019) जारी होने के दो से तीन महीने के विलंब के बाद भूमि आवंटित की गई। स्थल निरीक्षण (अगस्त 2019) के दौरान, जेबीवीएनएल के अधिकारियों और टीकेसी ने पाया कि दोनों स्थलों पर आवंटित भूमि पथरीली थी और पीएसएस के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके बाद, उप-महाप्रबंधक (डीजीएम) ने उन स्थलों में बदलाव के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया, जिन्हें टीकेसी (जून 2020) को सौंपा जाना था। इसके अलावा, जेएसबीएवाई चरण-I के तहत राँची जिले में लल्ली पीएसएस के लिए भूमि एलओआई (जुलाई 2018) जारी होने की तारीख से 10 महीने के विलंब के बाद टीकेसी को सौंप (मई 2019) दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अगस्त 2020 तक जेएसबीएवाई-1 के तहत कार्यों की भौतिक प्रगति 20 से 60 प्रतिशत के बीच थी जबकि जेएसबीएवाई-II के तहत यह 10 से 45 प्रतिशत थी (*परिशिष्ट VI*)।

नमूना-जांचित छः जिलों में 39 पीएसएस⁹⁰ के निर्माण की नमूना-जांच से पता चला कि 15 पीएसएस⁹¹ के मामले में भूमि की पहचान में एलओआई की तारीख

⁸⁸ 33 केवी लाइन-1330.19 सीकेएम और 11 केवी-756.19 सीकेएम

⁸⁹ 33 केवी लाइन-956.17 सीकेएम और 11 केवी-1949.09 सीकेएम

⁹⁰ प्रथम चरण में धनबाद-4, गिरिडीह-17, राँची-3, दुमका-8, पलामू-6 और पाकुड़-1

⁹¹ धनबाद-2, गिरिडीह-2, राँची-2, दुमका-4 और पलामू-5

से 20 महीने (अप्रैल 2020) का विलंब, 10 पीएसएस⁹² में टीकेसी को भूमि, आवंटन सौंपने में दो से 12 महीने तक का विलंब था। 14 पीएसएस के मामले में जेबीवीएनएल द्वारा भूमि की अनुपयुक्तता के संबंध में जिला प्रशासन से संपर्क करने में विलंब, दो पीएसएस में आरओडब्ल्यू जारी करना और चार मामलों में बीओक्यू को फ्रीज करने में 11 से 15 महीने तक का विलंब हुआ।

टीकेसी द्वारा पीईआरटी चार्ट प्रदान करने में 12 से 30 दिनों (आठ⁹³ पीएसएस), 13 पीएसएस की मरम्मत और रखरखाव के कार्य शुरू करने में विलंब, सामग्री की खराब गुणवत्ता के अलावा तीन 33 केवी लाइनों में *वे-लीव* अनुमति प्रदान करने हेतु रेलवे को अनुरोध प्रस्तुत करने में तीन महीने की विलंब, मानवबल की कमी, वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब, दोषपूर्ण कार्य और टीकेसी द्वारा कार्य निष्पादन की धीमी गति विलंब का कारण था।

- जेएसबीएवाई चरण-II के तहत गिरिडीह जिले में बनने वाले 13 पीएसएस में से, मार्च 2019 में दिए गए कार्यों में से बगोदर, पीरटांड, जमुआ और राजधनवार में चार पीएसएस के मार्च 2020 तक शुरू नहीं किया गया था। काम शुरू होने में विलंब हुआ क्योंकि इन पीएसएस के लिए भूमि का सीमांकन एलओआई जारी होने की तारीख से 11 से 12 महीने बीत जाने के बाद फरवरी और मार्च 2020 में किया गया था।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि विलम्ब प्रशासन और वन विभाग की ओर से था और जेबीवीएनएल के नियंत्रण से बाहर था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेबीवीएनएल ने उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करने, आरओडब्ल्यू मुद्दों को निपटाने और बीओक्यू⁹⁴ को फ्रीज करने में विलंब किया था। इसके अलावा, जेबीवीएनएल स्वीकृत परियोजनाओं में भूमि के मुद्दे को हल करने में विलंब और झारखण्ड सरकार द्वारा वन मंजूरी के कारण विलंब हुआ।

5.9 लाभार्थी सर्वेक्षण और संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियां

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावशीलता और दक्षता के उद्देश्य से, लेखापरीक्षा ने सितंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान जेबीवीएनएल के

⁹² गिरिडीह-7, दुमका-2 और राँची-1

⁹³ जेएसबीएवाई-I के पैकेज -2 में 27 दिन, पैकेज-3 में 15 दिन, पैकेज-5 में 12 दिन, पैकेज-6 में 22 दिन तथा जेएसबीएवाई-II के पैकेज-1 एवं 2 प्रत्येक में 15 दिन, पैकेज-4 एवं 6 प्रत्येक में 30 दिन

⁹⁴ दुमका, राँची गिरिडीह

अधिकारियों के साथ संयुक्त क्षेत्र सत्यापन किया। क्षेत्र के दौरे के दौरान, सात⁹⁵ जिलों के 26 गांवों⁹⁶ के 138 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। यह देखा गया कि डीडीयुजीजेवाई के लिए गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। किसी भी पोल पर खतरे के बोर्ड नहीं मिले और किसी भी गांव में डीडीयुजीजेवाई के साइन बोर्ड नहीं मिले। आगे, 33 लाभार्थियों (24 प्रतिशत) के मामले में मीटर परिसर के अंदर लगाए गए थे जहां परिसर को इस उद्देश्य से खोले या अनलॉक किये बिना पहुँच सुगम नहीं था।

आगे यह भी देखा गया कि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मीटर पिलर बॉक्स पर स्थापित किया जाना था जो नहीं किया गया। 138 लाभार्थियों में से 21 मीटर विद्युत-संबंध (15 प्रतिशत) के मामले में, 18 मीटर लाइन सर्किट से नहीं जुड़े थे और तीन मीटर खराब पाए गए थे। 81 लाभार्थियों (59 प्रतिशत) को एलईडी बल्ब भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे, हालांकि यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत टीकेसी द्वारा प्रदान किया जाना था। विद्युतीकरण के 16 से 33 महीने के बाद भी किसी भी लाभार्थी को बिल प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि डीटीआर पर मीटर लगाए गए थे, उनकी रीडिंग जेबीवीएनएल द्वारा नहीं ली जा रही थी। एसएमडीबी निर्जन क्षेत्रों में भी खंभों पर स्थापित पाए गए। लाभार्थियों ने आगे कहा कि गांवों में प्रतिदिन केवल 10-12 घंटे बिजली उपलब्ध थी।

- धनबाद जिले के मधुगोरा गांव में एक उपभोक्ता, जिसका उपभोक्ता सं. बीपीबीडी 3803 था, के पास एक मीटर-युक्त विद्युत-संबंध (मीटर संख्या 22707) विद्यमान था, जो ठीक स्थिति में था। हालांकि, टीकेसी द्वारा उसे पुनः एक नया मीटर प्रदान किया गया, जो बेकार पड़ा था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मई/अक्टूबर 2021) और कहा कि कार्य पूरा होने के बाद खतरे के बोर्ड लगाए गए हैं और मीटर विद्युत-संबंध में विसंगतियों को ठीक कर दिया गया है। प्रबंधन/विभाग ने यह भी बताया कि सभी लाभार्थियों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराये गये हैं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि लाभार्थियों ने कहा था कि एलईडी बल्ब उपलब्ध नहीं कराए गए थे और कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया गया था।

जेबीवीएनएल के जिम्मेदार अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए एक स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा ₹ 80.07 करोड़ की लागत से अतिरिक्त डीटीआर,

⁹⁵ धनबाद (सितंबर 2019), पाकुड़ (सितंबर 2019) देवघर (दिसंबर 2019), पलामू (दिसंबर 2019), गिरिडीह (मार्च 2020), दुमका (मार्च 2020) और राँची (फरवरी और जून 2020)

⁹⁶ धनबाद (अनालसिया, कापसरा, कंचनपुर, मधुगोड़ा), पाकुड़ (जितलपुर, मोहनपुर, सुंदरपुर, धनपहड़िया) देवघर (बाराकोला, रक्ती, गुनियासोल, मोहनाडीह), पलामू (खेंद्र कलां, पुरंदिन, नवातोली, खेंद्र खुर्द), गिरिडीह (बदवाड़ा, बुच) नवाडीह, बरिया, जादू रैडीह), दुमका (बेदिया, पलासी, सीकरपुर, बूदाबनी) और राँची (मुरुपिरी, मक्का)

पीसीसी पोल और एसएमडीबी की स्थापना की जांच की जानी चाहिए। ऊर्जा विभाग द्वारा पीएसएस के लिए उपयुक्त भूमि सौंपने में विलंब की जांच किए जाने की आवश्यकता है।

सारांश में: डीडीयुजीजेवाई के तहत 235 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) के 29 पावर सब स्टेशन (पीएसएस) का निर्माण किया गया। इनमें से 70 एमवीए के केवल आठ पीएसएस चार्ज किए जा सके जबकि 21 पीएसएस के निर्माण के तीन से 29 महीनों के बाद भी निष्क्रिय (जून 2020) था, मुख्य रूप से संबद्ध ग्रिड सब स्टेशनों (जीएसएस) के अधूरे रहने (तीन मामलों) के कारण, पीएसएस को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित मानवबल (दो मामलों) की अनुपस्थिति तथा आवश्यक 33 या 11 केवी लाइनों (16 मामलों) का निर्माण नहीं होने के कारण था।

718.61 सर्किट किमी 33 केवी लाइन के लक्ष्य के विरुद्ध, सात नमूना-जांचित जिलों में केवल 465.64 सर्किट किमी लाइन्स बनाए गए थे, जो वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब, आरेख को अंतिम रूप देने में विलंब, पावर ट्रांसफार्मर (पीटीआर) के तकनीकी मानकों, आरओडब्ल्यू (राईट ऑफ वे) और टीकेसी द्वारा मानवबल का अपर्याप्त जुटाव के कारण था।

जेबीवीएनएल ने पीएसएस और फीडरों पर ऊर्जा मीटर नहीं लगाए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटीआर) पर स्थापित मीटर बिना किसी ऊर्जा लेखांकन जाँच के बेकार पड़े थे। इस प्रकार, मुख्य उद्देश्यों में से एक अर्थात्, एटीसी हानियों को कम करना विफल रहा।

1,290 एमवीए के 129 पीएसएस के लक्ष्य के विरुद्ध, जेएसबीएवाई के तहत 90 एमवीए के केवल नौ पीएसएस का निर्माण किया गया था। 39 पीएसएस के निर्माण की नमूना-जांच से पता चला कि जेबीवीएनएल द्वारा भूमि की पहचान करने और सौंपने में एलओआई की तारीख से 20 महीने (अप्रैल 2020) की विलंब के अलावा टीकेसी की ओर से कार्य शुरू करने और पूरा करने में विलंब हुआ था।